तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-2-19	पत्रावली पेश हुई आदेश सुनाया गया प्रतिवादी सं. 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र O-7 R-11 जा.दी. एवं धारा 151 व धारा 42 (बी) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर वादी का वाद-पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

वाद संख्या 104/दावा/08 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :–18-11-08 गोरधनलाल मीना (RAS)

बउनवान

1. ओमप्रकाश आत्मज श्री दयाल जाति माली निवासी वार्ड नं0 5 सुनारो का चौक इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– वादी –

बनाम

1. केसरीलाल आत्मज जैलाल जाति बैरवा निवासी अस्पताल के पास पत्थर स्टॉक सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी (राज0)
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ
3. उप पंजीयक इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
4. श्रीमति मनभर पहाडिया पत्नि श्री रमेश पहाडिया जाति खटीक निवासी खेरदा मोतीनगर सवाईमाधोपुर तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

– प्रतिवादीगण –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 राज0 टिनेन्सी एक्ट

निर्णय

दिनांक :– 22.02.2019

निर्णय अन्तर्गत आदेश –7 नियम –11 एवं धारा 151 जा0दी0 व धारा 42 (बी) राज0 काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश –7 नियम –11 एवं धारा 151 जा0दी0 व धारा 42 (बी) राज0 काश्तकारी अधिनियम नियम पर दिनांक 01.02.2019 को उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। जिसके आधार पर उपरोक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण निम्न प्रकार किया जा रहा हैं।

प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा बहस प्रार्थना पत्र करते हुये तर्क दिया गया कि वाद पत्र में वर्णित आराजी अनुसूचित जाति के खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और वादी की जाति वाद पत्र में बताये अनुसार माली है। जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति नही हैं। लेकिन फिर भी वादी ओमप्रकाश की ओर से अनुसूचित जाति के खाते की कृषि भूमि बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (बी) के आज्ञापक प्रावधानों अनुसार अनुसूचित जाति की कृषि भूमि बाबत स्वर्ण जाति की ओर से प्रस्तुत किया गया अधिकार घोषणा का दावा विधि विरूद्व है। इस कारण वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को आदेश –7 नियम –11 के तहत खारिज किया जाना आवश्यक है।

[Type text]

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से की गई आपत्ति पूर्णतया कानूनी प्रश्न हैं। जिसको बिना जवाब दावा व साक्ष्य के निर्णित किया जा सकता है क्योंकि यह जगजाहिर तथ्य है कि अनुसूचित जाति की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति को खातेदारी अधिकार कानूनी रूप से नही मिल सकतें। वादी के द्वारा कानूनी प्रकिया का दुरूपयोग करते हुये न्यायालय में पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में पूर्व न्यायिक दृष्टांत RLW 2012 पेज नं0 571, RLW 2006 पेज नं0 940, RLW 2012 पेज नं0 561, DNJ 2015 राज0 पेज नं0 1303 प्रस्तुत किया गया। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज फरमाया जावें। वादी के अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता की बहस का विरोध का बहस करते हुये तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्ति को जवाब दावे व साक्ष्य उपरान्त निर्णित किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 4 को आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 4 को जवाब दावा के माध्यम से सभी आपत्तियां व्यक्त करने का अधिकार है न की इस प्रार्थना पत्र के आधार पर। वादी के अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में पर्व न्यायिक दृष्टांत DNJ 2013 राज0 पेज नं0 368, RRD 2013 राज0 पेज नं0 1, DNJ 2014 राज0 पेज नं0 62, DNJ 2011 राज0 पेज नं0 1066, RRD 2010 राज0 पेज नं0 884 प्रस्तुत किये गये। और अन्त में प्रार्थना की गई प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना को मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावें।

हमारे द्वारा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा प्रस्तुत नजीरों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में नकल जमाबन्दी सम्वत 2062 से 2065 खाता संख्या 16 ग्राम इन्द्रगढ प्रस्तुत की गई। जिसका अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विवादित आराजी केसरीलाल पुत्र जैलाल कोम बैरवा के खाते दर्ज है। न्यायालय मतानुसार बैरवा जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में सूचीबद्ध है। तथा वादी की और से प्रस्तुत वाद पत्र में केसरीलाल की जाति बैरवा प्रतिवादी संख्या 4 की जाति खटीक होना स्वीकार किया गया है।

वादी ने स्वयं की जाति माली होना वाद पत्र में उल्लेखित किया गया हैं। माली जाति अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध नही है। बल्कि अन्य पिछडा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध है। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह आपत्ति व्यक्त की गई कि वादी के द्वारा प्रस्तुत किया गया घोषण का दावा धारा 42 (बी) राज0 काश्तकारी अधिनियम के विधि विरूद्व है। वादी के द्वारा ऐसा कोई कानून न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया। जिससे यह स्पष्ट हो की धारा 42 (बी) राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान जिस तारीख को दावा पेश किया गया उस समय प्रभावशील नही हो। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से प्रस्तुत की गई आपत्ति पूर्णतः कानूनी प्रश्न है। जिसको निर्णित किये जाने से पूर्व जवाब दावा व साक्ष्य रिकार्ड पर लेने की कोई कानूनन आवश्यकता नही है। जैसा कि प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पूर्व न्यायिक दृष्टांत RLW 2012 राज0 पेज नं0 561 में प्रतिपादित किया गया है।

वादी की ओर से जिस दिन दावा पेश किया गया उस दिन धारा 42 (बी) राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान प्रभावशील थें। न्यायालय मतानुसार अनुसूचित जाति की कृषि भूमि पर स्वर्ण जाति को खातेदारी अधिकार दिया जाना कानूनी रूप से निषेध है। और विधि के अधीन अनुज्ञा नही है। जैसा कि पूर्व न्यायिक दृष्टांत DNJ 2015 राज0 पेज नं0 1303 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से की गई आपत्ति के आधार पर वादी

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

का वाद पत्र पूर्णतया विधि विरूद्व है। जिसको आदेश –7 नियम –11 के तहत खारिज किया जाना न्यायालय का कर्तव्य है। क्योंकि विधि विरूद्व वाद पत्र का जवाब दावा व साक्ष्य लिया जाकर निर्णय किये जाने पर न्यायालय व पक्षकारान का अमूल्य समय अनावश्यक व्यतित हो जावेगा। और पक्षकारों को आर्थिक हानि होगी।

वादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत DNJ 2013 राज0 पेज नं0 368 अधिकार घोषणा के वाद पत्र से सम्बन्धित नही है। यह न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है। वादी की ओर से ऐसा कोई न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया जिससे वादी के तर्को को मदद मिलती हो। कि अनुसूचित जाति की कृषि भूमि के सम्बन्ध में स्वर्ण जाति के व्यक्ति को खातेदार अधिकार विधि पूर्वक दिये जा सकते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय द्वारा यह निर्णित किया जाता है कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र धारा 42 (बी) राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पूर्णतया विधि विरूद्व होने से प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश –7 नियम –11 एवं धारा 151 व धारा 42 (बी) राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र विधि विरूद्व होने से खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक22.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

अन्तिम डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

व इजलास गोरधनलाल मीना (R.A.S)

1 ओमप्रकाश आत्मज दयाल जाति माली निवासी वार्ड-5 सुनारों का चौक इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (वादी) बनाम 1 केसरीलाल आत्मज भैरूलाल जाति बैरवा निवासी अस्पताल के पास पत्थर स्टैंड सुमेरगंज मण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी वगैरह प्रतिवादीगण

PTO.

दावा बाबत 88, 89, 188 RTA.

मुकदमा नम्बर 104/दावा/2008 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री कालकिशन शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री सुरेश कुमार वर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश-7 नियम-11 एवं धारा 151 जा. दी. व धारा 42(बी) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर वादी का वाद-पत्र विधि विरुद्ध होने से खारिज किया जाता है।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इन

मुकद्दमें के मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22-02-2019 माह ....

सन .... को जारी की गई।

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

मुहर ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला-बून्दी

3. उप-पंजीयक महोदय इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला-बून्दी

4. श्रीमति मनभर पहाड़िया पत्नी रमेश पहाड़िया जाति खटीक निवासी - खेरदा मोतीनगर सवाईमाधोपुर, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर (राज.)

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी